**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1237**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**किशोर सुधार गृहों में रहने वालों की सुरक्षा**

**1237. श्री अम्बेथ राजन:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या देश भर के किशोर सुधार गृहों में रहने वालों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाते हैं; और

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) और (ख) : किशोर न्‍याय अधिनियम की धारा 34 (3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों को रखने वाले गृहों में बच्‍चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्‍यूनतम मानक लागू करने के इरादे से ऐसे बच्‍चों को रखने वाले सभी संस्‍थानों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करती है । किशोर न्‍याय अधिनियम में राज्‍य सरकारों द्वारा राज्‍य, जिला एवं नगर स्‍तर पर गठित बाल कल्‍याण समितियों एवं निरीक्षण समितियों के माध्‍यम से सेवाओं की गुणवत्‍ता के कठोर मानीटरन हेतु तंत्र का भी प्रावधान है और बच्‍चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्‍यवहार अथवा उनके शोषण के निवारण हेतु गृहों के मानीटरन एवं मूल्‍यांकन के प्रयोजनार्थ सामाजिक लेखा परीक्षा का भी प्रावधान है । इसके अलावा, किशोर न्‍याय अधिनियम में पुलिस द्वारा किशोरों एवं बच्‍चों से संबंधित मामलों में समन्‍वयन करने तथा सुकर बनाने के प्रत्‍येक जिले एवं शहर में विशेष किशोर पुलिस एकक की स्‍थापना का भी प्रावधान है । तथापि, नियमों में कार्यकरण के मानीटरन हेतु प्रत्‍येक संस्‍थान में प्रबंधन समिति एवं बाल समितियों की स्‍थापना का प्रावधान किया गया, ताकि दुर्व्‍यवहार एवं शोषण की घटनाओं को रोका जा सके । इसके अलावा, नियमों में यौन दुर्व्‍यवहार, उपेक्षा एवं दुराचार सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्‍यवहार के प्रति उत्‍तर में, अब यह बाल देखरेख संस्‍थान में होता है, व्‍यापक उपायों का उल्‍लेख किया गया है ।

\*\*\*\*\*